स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(भारतीय बाधा सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून 2015

फ. स. पी.15025/264/13-पीएफएसएसएक्स—बाधा सुरक्षा और मानक (संदूरक, आविष्कार और अवशेष) विनियम, 2011
cा और संशोधन करने के लिए, कृतिपथ विनियमों का निर्देशित प्रस्ताव, जिसे भारतीय बाधा सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय
सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बाधा सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और धारा 21 के साथ पत्रिका धारा
92 की उप-धारा (2) के बंध (अ) द्वारा प्रदत्त विनियमों का प्रस्ताव करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के
लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभवता है उक्त उप-धारा (2) की अर्थव्यापन कार्यान्वयन किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है
कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियों, जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को
उपलब्ध करा दी जाती है, साथ हिंदों की अवधि की समाधि के प्रथम विचार किया जाएगा ;

आवेश या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कर्मचारी अधिकारी, भारतीय बाधा सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, बाधा और अपठि
प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे.

बाधा प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आवेदनों और सुझावों पर इस प्रकार विनिर्दित अवधि
के अवसान में पूर्व विचार किया जाएगा ;

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संस्थित नाम बाधा सुरक्षा और मानक (संदूरक, आविष्कार और अवशेष) संबोधन विनियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रकट होंगे ।

2498 GI/2015 (1)
2.4 अन्य लूकस
2.4.1: स्तंभ 3 में वर्णित लेखिका पर स्तंभ 2 में वर्णित संदर्भों की मान्यता में दी गई सारणी के स्तंभ 4 में विविध उच्चतम स्तर से अधिक नहीं होगी:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>संदर्भों का नाम</th>
<th>लेखिका</th>
<th>उच्चतम स्तर (म.ग्र./फ.ग्र.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>मेलामाइन</td>
<td>वर्णित मिश्र फार्मूला</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>तरंग विश्व साइनटिक</td>
<td>तरंग विश्व साइनटिक</td>
<td>0.15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अन्य लेखिका</td>
<td>अन्य लेखिका</td>
<td>2.5&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[विज्ञप्ति III/4/असल./187/असल./15(105)]
बुधवार संबते, मुख्य कार्यालय अधिकारी

दिनांक: मूल विविधता भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या म.सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और परस्पर संबंधित संदर्भों म.सं. 1-12/सी.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएडी/2012, तारीख 3 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किये गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th June, 2015

F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAL—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, duly supported by scientific evidence, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their final notification in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, after regulation 2.3 relating to 'Residues' and the table there under, the following regulation and table shall be inserted:-

"2.4 Other Contaminants

2.4.1: The amount of contaminants mentioned in column 2 on the foods mentioned in column 3, shall not exceed the Maximum Level prescribed in column 4 of the Table given below:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl.No.</th>
<th>Name of the contaminants</th>
<th>Food</th>
<th>Maximum level (mg/kg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Melamine</td>
<td>Powdered infant formula</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Liquid infant formula</td>
<td>0.15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Other foods</td>
<td>2.5”</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[ADVT.-III/4/Exty./187 O/15(105)]

YUDHIVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer